रवि उर्फ रविचंदरन

बनाम

पुलिस निरीक्षक द्वारा राज्य प्रतिनिधि

27 अप्रैल, 2007

[एस बी सिन्हा और मार्कंडी काटजू, जे. जे.]

भारतीय दण्ड संहिता, 1860-धारा 302 - हत्या-अभियोजन-दैनिक समाचार पत्र में अभियुक्त और सह-अभियुक्त के नाम और तस्वीरों का प्रकाशन घटना के लिए जिम्मेदार होने के रूप में-हमलावरों के नाम जिनका एफ. आई. आर. में उल्लेख नहीं है-परीक्षण पहचान परेड के प्रकाशन के दस दिन बाद अभियुक्त के फोटोग्राफ पुलिस स्टेशन में लिए गए- निचली अदालत द्वारा दोषसिद्धि-अपील में यह अभिनिर्धारित किया गयाः अभियुक्त संदेह के लाभ का हकदार था, उचित पहचान के अभाव में दोषसिद्धि की जा सकती है, लेकिन यह अस्पष्ट पहचान पर आधारित नहीं हो सकती है-साक्ष्य अधिनियम, 1872 - धारा 9-परीक्षण पहचान परेड।

सह-अभियुक्त 'यू' और तीन अन्य सह-अभियुक्तों के साथ अपीलार्थी-अभियुक्त पर एक व्यक्ति की हत्या का मुकदमा अपराध अन्तर्गत धारा 120 बी, 302, 307, 147, 148, 149 भारतीय दण्ड संहिता चलाया गया।

अभियोजन पक्ष का मामला यह था कि पीडब्लू-1 (मुखबिर) ने आरोपी व्यक्तियों को मृतक और पीडब्लू-3 पर हमला करते देखा। अज्ञात लोगों के खिलाफ एफ. आई. आर. दर्ज की गई। उसमें पहचान का कोई निशान भी नहीं दिखाया गया था। जाँच रिपोर्ट तैयार करते समय, मुखबिर ने जाँच अधिकारी को बताया कि उसने अभियुक्तों में से एक के दाहिने हाथ पर एक निशान देखा था। अपीलार्थी-अभियुक्त और सह-अभियुक्त 'यू' को गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी तस्वीरें स्थानीय दैनिक में इस शीर्षक के साथ प्रकाशित की गई थीं कि वे मृतक की हत्या के आरोपी व्यक्ति थे। दस दिन बाद अभियुक्तों को परीक्षण पहचान परेड की कार्यवाही की गयी। पी डब्ल्यू 1 और पी डब्ल्यू-3 ने अपीलार्थी की पहचान की। पी डब्ल्यू-2 और 4 पहचान नहीं कर सके।

विचारण के दौरान, तस्वीरों का प्रकाशन डी. डब्ल्यू.-1 द्वारा साबित किया गया था। विचारण न्यायालय ने अपीलार्थी-अभियुक्त को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 302 के तहत दोषी ठहराया। सह-अभियुक्त 'यू' को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत दोषी ठहराया गया था। अन्य तीन अभियुक्तों को दोषमुक्त कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा। अतः वर्तमान अपील की अनुमति दी गई।

अभिनिर्धारित -

1.1 जिस तरह से घटना हुई और साथ ही अभियोजन पक्ष के गवाहों के आचरण से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अपीलार्थी की ठीक से पहचान की गई है। कम से कम वह संदेह के लाभ का हकदार है। [पैरा 25] [774-बी]

1.2 . दस दिनों के बाद परीक्षण पहचान परेड आयोजित की गई। यह भी विवाद नहीं है कि अभियुक्तों की तस्वीरें पुलिस स्टेशन में ली गई थीं। जाँच अधिकारी ने उन्हें प्रकाशित करने की अनुमति दी। अपीलार्थी और सह-अभियुक्त 'यू' के फोटोग्राफ न केवल प्रकाशित किए गए थे, अपितु अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, उन्हें उक्त अपराध का आरोपी दिखाया गया था, उनमें से कुछ ने स्वीकार किया कि उन्हें उक्त प्रकाशन के बारे में पता था।कथित परीक्षण पहचान परेड जो दस दिन बाद आयोजित की गई थी, उपर बताई गई सभी तथ्यों परिस्थितियों में महत्वपूर्ण नहीं है। [पैरा 16] [771-डी-ई]

1.3 . इसमें कोई संदेह नहीं है कि एक अभियुक्त की पहचान का मूल प्रमाण, वह होता है जिसे अदालत में बताया जाता है। भले ही कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई हो, तब भी दोषसिद्धि का निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन जब अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के संदर्भ में पहचान परेड, उन व्यक्तियों की पहचान करने की उनकी क्षमता के

सम्बन्ध में गवाह की सत्यता का परीक्षण करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है। जो व्यक्ति उनके लिए अज्ञात थे तथा गवाहों को इस बारे में यकीन नहीं था कि क्या उन्होंने अपीलार्थी को पहले देखा था। यदि अभियुक्त का पता चल जाता तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनकी पहचान का खुलासा किया जाता। पीडब्लू-1 ने अदालत के समक्ष पहली बार कहा कि वह अभियुक्तों को बहुत पहले से जानता था, लेकिन उनके नाम पहले नहीं जानता था, हालांकि उन्हें बाद में उनके नामों के बारे में पता चला। [पैरा 17] [771-एफ-जी]

1.4 . इस प्रकार के मामले में, अभियोजन पक्ष का यह दायित्व था कि - एक परीक्षण पहचान परेड की व्यवस्था करें। इस तरह की परीक्षण पहचान परेड को जल्द से जल्द आयोजित करने की आवश्यकता थी ताकि संबंधित गवाहों द्वारा या तो पुलिस स्टेशन में या किसी अन्य स्थान पर या समाचार पत्र में प्रकाशित तस्वीरों के संदर्भ में आरोपी की पहचान की संभावना को खारिज किया जा सके। दोषसिद्धि अस्पष्ट पहचान पर आधारित नहीं होनी चाहिए। [पैरा 18] [771-एच; 772-ए]

1.5. डी. डब्ल्यू.-1 द्वारा यह सिद्ध किया गया कि तस्वीरों के साथ समाचार का प्रकाशन स्पष्ट रूप से किया गया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने उक्त तथ्य को स्वीकार भी किया। इसलिए डी. डब्ल्यू.-1 के लिए आरोपी व्यक्तियों की पहचान करना पूरी तरह से अनावश्यक था। इस तरह

के प्रकाशन की प्रामाणिकता पर सवाल नहीं उठाया गया है। अभियोजन पक्ष, डी. डब्ल्यू.-1 से बिल्कुल भी जिरह नहीं की गई थी। यह अभियोजन पक्ष के साथ-साथ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का भी दायित्व था कि वे अभियुक्त की पहचान को कथित तस्वीरों के संदर्भ में सत्यापित करते। अपीलार्थी को भी इसी प्रकार साबित करना था।[पैरा 23] [773-जी]

सूर्यमूर्ति और अन्य बनाम गोविंदस्वामी और अन्य, [1989] 3 एससीसी 24 और आचारपर्मबथ प्रदीपन और अन्य बनाम केरल राज्य, [2006] 13 स्केल 600 में निर्धारित किया गया।

2. अपीलार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। प्रथम सूचना रिपोर्ट में इस तथ्य का खुलासा नहीं किया गया था कि उनके पास कुछ पहचान के निशान थे। जांच रिपोर्ट तैयार करने का उद्देश्य केवल यह नोटिस करना है कि क्या की गई हत्या मानव वध की श्रेणी की थी या नहीं। आरोपी की पहचान के निशान के संबंध में एक नोट बनाने के लिए नहीं है। [पैरा 24 और 25] [773-एच; 774-ए-बी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार-आपराधिक अपील संख्या 636/2007

मद्रास उच्च न्यायालय के आपराधिक अपील संख्या 774/1996 में पारित अंतिम निर्णय और आदेश दिनांक 03.02.2005 के विरूद्घ अपील।

वेंकटेश्वर राव अनुमोलु, सतीश गल्ला, प्रभाकर परनम, के. के. एस. कृष्णराज और सत्य मित्र गर्ग अपीलार्थी की ओर से।

आर. सुंदरवरदन, वी. जी. प्रगसम, एस. वल्लीनायगम और एस. प्रभु रामसुब्रमण्यन प्रत्यर्थी की ओर से।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधिपति एस. बी. सिन्हा, द्वारा दिया गया।

अनुमति दी गयी।

1. विद्वान विचारण न्यायाधीश के समक्ष अभियुक्त सं. 2 हमारे समक्ष अपीलार्थी है। एक उदयकुमार और तीन अन्य पर अपराध अन्तर्गत धारा 120-बी, 302, 307, 147, 148, 149 भारतीय दंड संहिता के अपराध का आरोप था।

2. अभियोजन पक्ष का मामला संक्षेप में इस प्रकार थाः

लियाकत अली (पी डब्ल्यू-1), एक स्कूल शिक्षक जो गली न. 06, टी.एस.आर. ले-आउट तिरूपुर शहर का निवासी था। दिनाँक 09.08.1993 को लगभग 05.30 बजे, वह सुबह की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था। मस्जिद से वापस साथी रशीद (पी डब्ल्यू-2) के साथ अपने घर लौट रहा था। जॉन बाशा (मृतक) और उस्मान अली (पी. डब्ल्यू-3, घायल) उनके आगे चल रहे थे। सलीम (पीडब्ल्यू-4) और एक मुबारक उनके पीछे थे।

3. जब मृतक, पी. डब्ल्यू-2 और पी. डब्ल्यू-3, पी. डब्ल्यू -2 के घर के पूर्वी हिस्से में एक गली की ओर मुड़े, तो अपीलार्थी और उदयकुमार को विपरीत दिशा से आते देखा गया। अपीलार्थी कथित तौर पर चिल्लाया कि ये वे लोग हैं जिन्होंने आरएसएस कार्यालय पर बम फेंका था और मृतक को अंधाधुंध चाकू मारने लगा। पी. डब्ल्यू-3 (उस्मान अली) पर कथित तौर पर उदयकुमार द्वारा चाकू मारा गया। जब वे मदद के लिए चिल्लाने लगे, तो अपीलार्थी ने कथित तौर पर एक पत्थर उठाया और उसे मृतक के सिर पर गिरा दिया। अपीलार्थी और उक्त उदयकुमार इसके बाद कथित तौर से घटना स्थल से भाग गया।

4. अज्ञात के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गई थी। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोपी की पहचान बाबत् किसी भी निशान का खुलासा नहीं किया गया था। हालाँकि, जब जाँच अधिकारी जाँच रिपोर्ट तैयार कर रहा था, तो पहले मुखबिर ने कथित तौर पर खुलासा किया कि उसने हमलावरों में से एक के दाहिने हाथ पर एक निशान देखा था। लगभग दिनाँक 14.08.1993 को पाँच दिनों के बाद, अपीलार्थी को गिरफ्तार कर लिया गया। उक्त उदयकुमार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। उनकी तस्वीरें एक स्थानीय दैनिक में इस शीर्षक के साथ प्रकाशित की गई कि ये वे व्यक्ति थे जिन पर जॉन बाशा की हत्या और पी डब्ल्यू-3 को चोट पहुँचाने का आरोप था।

5. उक्त प्रकाशन एक तमिल दैनिक 'दिनाकरन' में दिनाँक 16.08.1993 को प्रकाशित किया गया था। इससे पहले या गिरफ्तारी के तुरंत बाद, अपीलार्थी और उक्त उदयकुमार का परीक्षण पहचान परेड नहीं किया गया था। उनका केवल दिनाँक 24.08.1993 को परीक्षण पहचान परेड किया गया था। उक्त कथित परीक्षण पहचान परेड में, जहाँ पी. डब्ल्यू-1 और पी. डब्ल्यू-3 ने कथित रूप से अपीलार्थी की पहचान की थी, परन्तु पी. डब्ल्यू-2 और पी. डब्ल्यू-4 भी अभियुक्त संख्या 1 की पहचान नहीं कर सके।

6. पाँच अभियुक्त व्यक्तियों में से, जिन पर न केवल उक्त अपराध का आरोप लगाया गया था, परन्तु साथ-साथ अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ साजिश रचने के लिए भी मुकदमा चलाया गया। बाद विचारण विद्वान विचारण न्यायालय ने अपने निर्णय एवं आदेश दिनांक 17.09.1996 द्वारा अपीलार्थी को धारा 302 भारतीय दण्ड संहिता के तहत जॉन बाशा की हत्या के अपराध का दोषी ठहराया और उदयकुमार को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307 के तहत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी ठहराया; अन्य तीन अभियुक्त व्यक्तियों को दोषमुक्त कर दिया। दोनों आरोपित अभियुक्तों को अन्य अपराध के आरोपों से दोषमुक्त कर दिया गया।

7. उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी एवं उक्त उदय कुमार द्वारा दायर अपील को खारिज कर दिया।

8. हमने प्रथम सूचना रिपोर्ट और तथाकथित चश्मदीद गवाहों के बयान का अवलोकन किया। सभी चश्मदीद गवाहों के साक्ष्य की प्रकृति और उद्देश्य लगभग समान हैं।

9. हम शुरुआत में प्रथम सूचना देने वाले (पी डब्ल्यू 1) की साक्ष्य को देखे तो-

1). उनके अनुसार, अपीलार्थी और उक्त उदयकुमार जॉन बाशा (मृतक) और उस्मान अली (पीडब्लू-3) से लगभग 15 फुट की दूरी से उनकी ओर भाग रहे थे। उनके अनुसार, जब पहली चोट लगी थी तब कोई चिल्लाया नहीं था। उन्होंने कहा कि उन दोनों के अलावा किसी और को छुआ नहीं गया। उन्होंने कहा कि वह आरोपी व्यक्तियों को पहले से जानते थे और उनके नाम भी जानते थे, लेकिन फिर कहा कि उन्हें उस समय यह नहीं पता था। उनके अनुसार, उन्होंने

प्रथम सूचना रिपोर्ट में उस निशान का उल्लेख किया था जो उन्होंने अपीलार्थी के दाहिने हाथ पर देखा था, लेकिन प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह

नहीं दिखाया गया है। उन्होंने स्वीकार किया कि अपीलार्थी और उक्त उदयकुमार की तस्वीरें समाचार पत्र में छपी थीं कि उन्होंने जॉन बाशा की हत्या की थी।

10. पी डब्ल्यू-2 को यह भी याद नहीं था कि उसने अपीलार्थी की निशान के आधार पर पहचान की थी या नहीं। पीडब्लू-3 ने कथित तौर पर पहचान के निशान का खुलासा किया था। उनका बयान जांच रिपोर्ट के बाद लिया गया। पी डब्ल्यू-4 यह भी नहीं बता सका कि उसने अपीलार्थी और उक्त उदयकुमार को घटना की तारीख से पहले देखा था या नहीं। लेकिन फिर भी उनके अनुसार उनके चेहरे जाने-पहचाने थे। उन्हें यह भी याद नहीं था कि क्या उन्होंने उक्त पहचान चिह्न के बारे में किसी और को भी बताया था।

11. अभियुक्त की तस्वीर जो तमिल दैनिक 'दिनाकरण' में प्रकाशित हुई थी, उसे एक राजा कांग ने साबित किया, जिसको डी. डब्ल्यू 1 के रूप में परीक्षित किया गया।

1. उन्हें जारी किए गए समन के अनुसार वह अपने साथ दिनाँक 16.08.1993 की समाचार पत्र की एक प्रति लाए थे। उन्होंने अपने बयान में कहा कि अखबार के चौथे पृष्ठ पर, तिरुपुर हत्या मामले से जुड़े व्यक्तियों को दिखाते हुए दो तस्वीरें प्रकाशित की गईं। उसमें उनके नाम

उदयकुमार और रवि के रूप में बताए गए थे। उक्त गवाह से कोई प्रतिपरीक्षा भी नहीं की गई।

12. उच्च न्यायालय ने सम्पूर्ण प्रक्रिया के बाद राय दी कि डी. डब्ल्यू.-1 ने एक शब्द भी नहीं कहा कि समाचार पत्र में प्रकाशित तस्वीरें अपीलार्थी और उक्त उदयकुमार की थीं और चूंकि उसे अदालत में उनकी पहचान करने के लिए नहीं कहा गया था। इसलिए उनकी साक्ष्य कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं है।

13. अभियुक्तों द्वारा यह आपत्तियाँ ली गईं कि उनकी तस्वीरें पुलिस स्टेशन में ली गई थी। आगे यह भी स्वीकार किया गया है कि अभियुक्त नं. 1 का कद छोटा था तथा अपीलार्थी लंबा था। जिन व्यक्तियों को परीक्षण पहचान परेड के लिए चुना गया था, उन व्यक्तियों की आयु भी मजिस्ट्रेट द्वारा नोट नहीं किया गया था, परीक्षण पहचान परेड का संचालन करने वालों ने हाथ पर समान निशान वाले किसी भी व्यक्ति को भी परीक्षण पहचान परेड में नहीं रखा गया था।

14. पीडब्लू-2, जो पहले गवाह को उस स्थान पर भेजे जाने के बाद पहचान करने आया था। जहाँ पी. डब्ल्यू.-1 को परीक्षण पहचान के तुरंत बाद भेजा गया था। पीडब्लू-3 और अन्य को अपीलार्थी के बारे में उनके प्रकटीकरण की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है। उसने एक राजू की पहचान की थी, जिसका इस प्रकरण से कोई संबंध नहीं था। इसी तरह,

उस्मान अली (पी डब्ल्यू-3) ने एक अरुण की पहचान की थी जो भी इस प्रकरण से संबंधित नहीं था।

उन्होंने दूसरी और तीसरी पहचान परेड में राजू की पहचान की थी। अरूण की नहीं की थी। अरूण इस मामले में किसी प्रकार से जुडा हुआ नहीं था।

15. राज्य की ओर से श्री आर. सुंदरवरदन, विद्वान वरिष्ठ वकील, उपस्थित आए और उनका तर्क रहा कि बन्दियों की न्यायालय में पहचान मूल साक्ष्य है तथा माननीय उच्च न्यायालय ने इस आधार पर सही राय दी है। यह भी तर्क दिया कि डी डब्ल्यू 1 अनुश्रुत साक्षी है।

16. प्रकरण में कुछ तथ्य विवादित नहीं हैं। परीक्षण पहचान परेड दस दिनों के बाद की गई थी। यह भी विवादित नहीं है कि अभियुक्तों की तस्वीरें पुलिस स्टेशन में ली गई थीं। जाँच अधिकारी ने उन्हें प्रकाशित करने की अनुमति दी। अभियोजन पक्ष के गवाहों के अनुसार, अपीलार्थी और उक्त उदयकुमार की तस्वीरें न केवल प्रकाशित की गई थीं, बल्कि उन्हें उपरोक्त अपराध में आरोपी दिखाया गया था। उनमें से कुछ को उक्त प्रकाशन के बारे में पता था। कथित परीक्षण पहचान परेड जो इसके दस दिन बाद आयोजित की गई थी, हमारी राय में, उपरोक्त स्थिति में सभी महत्व खो देती है।

17. इसमें कोई संदेह नहीं है कि अभियुक्त की पहचान का ठोस प्रमाण वह होता है, जब न्यायालय में पहचान की जाती है। जब भले ही कोई परीक्षण पहचान परेड आयोजित नहीं की गई हो, उस स्थिति में दोषसिद्धि का निर्णय लिया जा सकता है। लेकिन जब अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की जाती है, तो साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के संदर्भ में एक परीक्षण पहचान परेड आयोजित की जाती है, जिसका उद्देश्य गवाह की उन व्यक्तियों की पहचान करने की , जो उसके लिए अनजान थे क्षमता के संबंध में उसकी सत्यता का परीक्षण करना है। गवाहों को इस बारे में बहुत यकीन नहीं था कि क्या उन्होंने अपीलार्थी को पहले देखा था। यदि अभियुक्त का पता चल जाता तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में उनकी पहचान का खुलासा किया जाता। पीडब्लू-1 ने पहली बार अदालत के समक्ष कहा कि बहुत पहले से आरोपी को जानते है, लेकिन उनके नाम पहले नहीं जानते थे, हालाँकि उन्हें बाद में उनके नामों के बारे में पता चला।

18. इस प्रकार के मामले में, अभियोजन पक्ष पर का दायित्व था कि वह जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी परीक्षण पहचान परेड की व्यवस्था करें, जिससे अभियुक्त व्यक्तियों की पहचान पुलिस स्टेशन और किसी अन्य स्थान पर या अन्य संबंधित गवाहों द्वारा या समाचार पत्र में प्रकाशित

तस्वीरों से पहचान की संभावना को खारिज किया जा सके। अस्पष्ट पहचान के आधार पर दोषसिद्धि नहीं होनी चाहिए।

19. सूर्यमूर्ति और अन्य बनाम गोविंदस्वामी और अन्य। , [1989] 3 एससीसी 24 में इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि-

> "10. जाँच के दौरान दो पहचान परेड आयोजित की गईं। प्रथम पहचान परेड में पी डब्ल्यू 1 ने सम्पूर्ण 07 अभियुक्तों की पहचान की। जब कि पी डब्ल्यू 2 ने उनमें से 03 अभियुक्त, अभियुक्त संख्या 02, 06 व 07 की पहचान की। यह साक्ष्य की कि पहचान परेड से पहले अभियुक्त व्यक्तियों की फोटोग्राफ्स दैनिक अखबार में प्रकाशित की गई थी। इसके अलावा अभियुक्त व्यक्ति पहचान परेड के कुछ दिन पहले से कारागृह में थे। इस संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता कि गवाहों द्वारा अभियुक्तों को देखा गया हो। हम पहचान परेड के समय की गई पहचान को बहुत महत्व नहीं देते है....."

20. विशेष रूप से लंबे समय के बाद परीक्षण पहचान परेड का आयोजन तथा उनकी तस्वीरें प्रकाशित करने के सम्बन्ध में इस न्यायालय द्वारा न्यायिक विनिश्चय आचारपरम्बथ प्रदीपन और अन्य वी. केरल राज्य, (2006) 13 स्केल 600 के प्रकरण में यह प्रतिपादित किया था कि

" बाल साक्षियों की साक्ष्य में कुछ व्यक्तियों का विवरण दिया गया था, परन्तु ए-1 को छोडकर उन्हें गिरफ्तार नहीं किया गया था। उनकी गिरफ्तारी न होने के कारणों का खुलासा भी नहीं किया गया था। उन्हें दिनाँक 06.03.2000 को गिरफ्तार किया गया। जब पी डब्ल्यू 7 व पी डब्ल्यू 8 द्वारा उनके नाम का खुलासा किया गया था। अभियुक्त ए-1 के अलावा अन्य की पहचान परीक्षण परेड दिनाँक 04.04.2000 को की गई। अनुसंधान अधिकारी द्वारा यह खुलासा नहीं किया गया कि यह पहचान परेड इतने लम्बे समय के बाद क्यों की गई। इसके अलावा ए-3 की पहचान नहीं की गई। ए-6 की पहचान परेड की गई परन्तु उसे किसी भी गवाह द्वारा पहचान नहीं किया गया।

हम इस तरह की पहचान परीक्षण परेड से संबंधित स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं है। कथित अभियुक्तों की बाल साक्षियों द्वारा पहचान इस प्रकरण की तथ्यों एवं परिस्थितियों में हमें निश्चित निष्कर्ष पर ले जाती कि उन्हीं व्यक्तियों ने अपराध कारित किया है।

पहचान परीक्षण परेड करवाने में बहुत देरी की गई थी तथा पी डब्ल्यू 7 व पी डब्ल्यू 8 के बयान दर्ज करने में अनुचित देरी की गई। वह व्यक्ति संदेह का लाभ प्राप्त करने का हकदार है।

21. श्री सुंदरवरदन द्वारा जिस समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित किया गया था, उसके खो जाने पर उसकी साक्ष्य मूल्यांकन के सम्बन्ध में इस न्यायालय के न्यायिक विनिश्चय सामंत एन.बालकृष्ण आदि बनाम जार्ज फर्नांडीस और ओआरएस आदि, ए.आई.आर. (1969) एस.सी. 1201 की ओर ध्यान आकर्षित किया गया। इस मामले में चुनावी विवाद में एक समाचार पत्र में समाचार प्रकाशित किया गया था। जिसके सम्बन्ध में कोई प्राथमिक सबूत नहीं था। इस द्वितीयक साक्ष्य के बारे में यह कहा गया कि-

वास्तव में एक समाचार पत्र किसी अन्य साक्ष्य के अभाव में कि वास्तव में क्या हुआ है, कोई साक्ष्यिक मूल्य नहीं रखता। यह एक अच्छा द्वितीयक साक्ष्य का द्वितीयक साक्ष्य है। यह सर्वविदित है कि पत्राकार जानकारी एकत्र करते है और उसे सम्पादक को पहुँचाते है। जो कि समाचार का सम्पादन करता है और उसे प्रकाशित करता है। इस प्रक्रिया में सच्चाई विकृत्त हो सकती है या उसके साथ खिलवाड किया जा सकता है। इस तरह के समाचार स्वयं साबित नहीं कहे जा सकते, यद्यपि उन्हें अन्य साक्षियों के साथ ध्यान में रखा जा सकता है, यदि अन्य ठोस साक्ष्य है।

[यह भी देखें एस. ए. खान बनाम च. भजन लाल और अन्य। , [1993] 3 एस. सी. सी. 151]

22. हम किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा दिए गए भाषण की प्रामाणिकता या शुद्धता से प्रभावित नहीं है, जिसका प्रकाशन विवादित समाचार पत्र में किया गया है। हमने समाचार पत्रों की कटिंग देखी है। उसमें अभियुक्तों के फोटोग्राफ दिखाए गए है तथा अभियुक्त के रूप में उनके नामों का भी खुलासा किया गया है।

23. डी डब्ल्यू 1 द्वारा तस्वीरों के साथ समाचार पत्र का प्रकाशन स्पष्ट रूप से सिद्घ किया है। अभियोजन पक्ष के गवाहों ने भी इन तथ्यों को स्वीकार किया है, इसलिए डी डब्ल्यू 1 द्वारा आरोपी व्यक्तियों की पहचान कटघरे में करना पूरी तरह से आवश्यक नहीं था। इस प्रकार अखबार का प्रकाशन की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में अभियोजन की ओर से कोई पूछताछ नहीं की थी। प्रकाशन की प्रमाणिकता के सम्बन्ध में डी डब्ल्यू 1 से बिल्कुल भी प्रतिपरीक्षा नहीं की गई। अभियोजन पक्ष के साथ-साथ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी का भी दायित्व था कि उनके द्वारा उक्त तस्वीरों के संदर्भ में आरोपी की पहचान सत्यापित की जाती। अपीलार्थी के लिए यह साबित करना आवश्यक नहीं था।

24. हम यहाँ पहले भी देख चुके हैं कि यहाँ अपीलार्थी का नाम प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं था। तथ्य यह है कि उनके जो पहचान चिह्न है जिनका खुलासा प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं किया गया था। जाँच रिपोर्ट केवल इस उद्देश्य के लिए तैयार की जाती है कि जो हत्या की गई है, वह

मानव वध की श्रेणी में आती है या नहीं। अभियुक्त के निशान के पहचान के सम्बन्ध में एक नोट बनाने के लिए नहीं

25. जिस तरह से घटना हुई और साथ ही अभियोजन पक्ष के गवाहों के आचरण, जैसा कि यहाँ पहले चर्चा की गई है, से यह निष्कर्ष नहीं निकलता है कि अपीलार्थी की पहचान ठीक से की गई है। हमारी राय में, वह कम से कम संदेह के लाभ का हकदार है।

26. उपरोक्त कारणों से, विवादित निर्णय यथावत् नहीं रखा जा सकता। जिसे तदनुसार अपास्त किया जाता है। अपील की अनुमति दी जाती है। यदि किसी अन्य मामले में आवश्यकता नहीं है तो अपीलार्थी को तुरंत रिहा कर दिया जाए।

के.के टी.

अपील की अनुमति दी गई।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रश्मि आर्य (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।